संख्या- 2/2018/143/33-3-2018-10जी.आई./2015

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,

अपर मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश

(2) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(3) समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 16 जनवरी, 2018

विषय- ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण में कम लागत एवं बिना लागत (सोशल प्लान) के कार्यों को सम्मिलित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के समग्र एवं समेकित विकास हेतु ग्राम पंचायत विकास योजना के माध्यम से ग्राम पंचायतों द्वारा दीर्घकालिक विकास को ध्यान में रखते हुए पंचवर्षीय एवं वार्षिक ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार की जानी है, जो कि सहभागी नियोजन एवं विभिन्न वित्तीय संसाधनों के अभिसरण (कनवर्जेन्स) पर आधारित होगी, जिसके लिये समय-समय पर शासन द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। अभिसरण को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत विकास योजना में ग्राम पंचायत के सभी विकास के मुद्दों संबंधी लागत, कम लागत एवं बिना लागत के कार्यों को सम्मिलित किया जाना है; उदाहरणार्थ-स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा0), मनरेगा, शिक्षा (स्कूल प्रबंधन समिति), स्वास्थ्य (वी.एच.एन.सी. एवं वी.एच.एन.डी.), महिला एवं बाल कल्याण, कृषि, अर्थव्यवस्था आदि।

वर्तमान में प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना का निर्माण करते हुए कार्ययोजना प्लान-प्लस सॉफ्टवेयर पर अपलोड किये जाने की प्रक्रिया की जा रही है, परन्तु प्लान-प्लस पर अपलोड कार्ययोजना का राज्य स्तर से किए गए विश्लेषण के दौरान यह पाया गया कि ग्राम पंचायतों द्वारा अपनी कार्ययोजना में मानव एवं सामाजिक विकास संबंधी विषयों की अपेक्षा निर्माण कार्यों को प्राथमिकता दी गयी है। कार्ययोजना में मात्र 14वें वित्त एवं चतुर्थ राज्य वित्त के कार्यों को ही सम्मिलित किया गया है, जबकि ग्राम

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पंचायत विकास योजना का उद्देश्य ग्राम पंचायतों का समग्र विकास करना है। अत: निर्माण कार्यों के साथ-साथ सामाजिक कार्यों को भी कार्ययोजना में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है। सामाजिक कार्यों को कार्ययोजना में सम्मिलित न किये जाने के तीन कारण हो सकते है:-

1. ग्राम पंचायतों को मानव एवं सामाजिक विकास संबंधी विषयों की जानकारी नहीं है।
2. ग्राम पंचायतों को मानव एवं सामाजिक विकास संबंधी विषयों की जानकारी है, परन्तु विषयों को महत्व न देते हुए चर्चा नहीं की गयी है।
3. ग्राम पंचायतों को मानव एवं सामाजिक विकास संबंधी विषयों की जानकारी है, उन पर चर्चा भी की गयी है, परन्तु कैसे कार्ययोजना में सम्मिलित करना है, यह निश्चित नहीं कर पायी है।

उक्त कारणों के दृष्टिगत् आवश्यक है कि ग्राम पंचायतें कम लागत एवं बिना लागत के कार्यों की महत्ता को समझे, चर्चा करें और कार्यों का प्लान बनाकर अपनी कार्योयोजना में सम्मिलित करें। प्रतिदिन जनपद की 10 ग्राम पंचायतों द्वारा अपलोड की गयी कार्ययोजना का विश्लेषण किया जाये तथा कार्ययोजना निर्माण एवं कार्ययोजना को वॉल पेन्टिंग के माध्यम से प्रदर्शित किये जाने का अनुश्रवण जनपद के वॉर रूम से किया जाये। मानव एवं सामाजिक विकास संबंधी विषय क्या हैं, किस प्रकार के मानव एवं सामाजिक विकास संबंधी कार्यों को कार्ययोजना में सम्मिलित किया जा सकता है तथा विषय/विषयों से संबंधित किस प्रकार की गतिविधियॉ ग्राम पंचायत द्वारा की जा सकती हैं, इसका विवरण प्रदेश स्तर पर तैयार किया गया है, जो संलग्नक-1 पर संलग्न है।

अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संलग्नक में उल्लिखित विषयों को अपने जनपद की ग्राम पंचायतों की वर्ष 2018-19 की ग्राम पंचायत विकास योजना में सम्मिलित कराते हुए ग्राम पंचायतों की विकास योजना बनाया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-उक्तानुसार

भवदीय

(चंचल कुमार तिवारी)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या:-2/2018/143 (1)/33-3-2018 लखनऊ तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, ग्राम्य विकास, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बेसिक शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7. समस्त मण्डलीय उप निदेशक (पं0), पंचायती राज, उ0प्र0।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जय शंकर राय)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

"हमारी योजना हमारा विकास"

ग्राम पंचायत विकास योजना में सम्मिलित किये जाने हेतु सोशल प्लान तैयार किया जाना

क्र.सं.	सेक्टर	मानक	
		कम लागत (Low Cost)	बिना लागत (No Cost)
1.	जल/पानी/ पेयजल	• पीने के पानी की गुणवत्ता की जॉच मानकों के अनुसार वर्ष में दो बार किया जाना। जॉच हेतु वार्षिक कार्ययोजना बनाते समय धनराशि प्राविधानित करना। • स्कूलों में स्वास्थ्य सुविधाओं तथा आंगनबाड़ी में स्वच्छ पेयजल के उपयोग पर छात्र एवं छात्राओं को महत्वपूर्ण दिवसों (गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयन्ती आदि) पर विद्यालयों में प्रतियोगिता का आयोजन कर प्रेरित करना। कार्यक्रम के आयोजन में आने वाले व्यय का वहन ग्राम पंचायत स्वयं के प्रशासनिक मद की धनराशि से करेगी।	• पेयजल के सुरक्षित उपयोग एवं रख-रखाव के महत्व की जानकारी छः माह में एक बार वार्डवार बैठक का आयोजन कर समुदाय को जानकारी देना तथा इसे व्यवहार में लाने हेतु प्रोत्साहित करने हेतु की जाने वाली गतिविधि को कार्ययोजना में सम्मिलित करना। • ग्राम पंचायत की मासिक बैठक में उक्त विषय पर चर्चा।
		• उक्त कार्य को कार्ययोजना के साथ प्लान-प्लस पर इंगित सेक्टर Drinking Water पर अपलोड किया जायेगा।	
2.	परिवार की स्वच्छता	1- समुदाय को ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के विषय पर जागरूक करना तथा जानकारी देना। पंचायत समिति एवं समुदाय द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर ठोस एवं तरल अपशिष्ट	• विद्यालय में कक्षा के दौरान छात्र-छात्राओं को शौचालय उपयोग करने तथा हाथ साबुन से धोने से होने वाले लाभ के विषय में जानकारी देना। जिन छात्र-छात्राओं के घरों में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

क्र.सं.	सेक्टर	मानक	
		कम लागत (Low Cost)	बिना लागत (No Cost)
		प्रबंधन हेतु रणनीति तैयार करना। रणनीति में निम्न गतिविधियों को सम्मिलित किया जा सकता है:- <u>गतिविधि</u> • समुदाय द्वारा ग्राम पंचायत में प्रत्येक हैण्डपम्प, कुआं, सोख्ता गड्ढों का निर्माण एवं कूडेदान का निर्माण किया जाना। निर्माण कार्य आने वाला व्यय का वहन समुदाय द्वारा श्रमदान, सहयोग (चन्दा) एवं ग्राम पंचायत के स्वयं के आय के श्रोत की धनराशि से किया जायेगा। • पंचायत के प्रशासनिक मद से डस्टबिन क्रय कर पंचायत के विभिन्न स्थानों में स्थापित करना। क्रय में आने वाले व्यय का वहन ग्राम पंचायत स्वयं के प्रशासनिक मद से करेगी। 2- दिनांक 19 नवम्बर को World Toilet Day तथा दिनांक 15 अक्टूबर को World Hand Washing Day के अवसर पर छात्र-छात्राओं को शौचालय उपयोग करने तथा हाथ साबुन से धोने हेतु प्रेरित करना।	शौचालय नहीं है, उन्हें अपने अभिभावकों को शौचालय बनाने हेतु कहने के लिये प्रोत्साहित करना। • ग्राम पंचायत में वार्डवार बैठकों का आयोजन कर समुदाय को शौचालय उपयोग करने तथा हाथ साबुन से धोने के महत्व को पर चर्चा करना। • ग्राम पंचायत की मासिक बैठक में परिवार की स्वच्छता विषय पर चर्चा करना।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र.सं.	सेक्टर	मानक	
		कम लागत (Low Cost)	बिना लागत (No Cost)
		<u>गतिविधि</u> • विद्यालयों में प्रतियोगिता का आयोजन कर हाथ साबुन से धोने के तरीके बताना। प्रतियोगिता का आयोजन विद्यालय प्रबंधन समिति अथवा ग्राम प्रधान के माध्यम से किया जायेगा। आयोजन में आने वाले व्यय का वहन ग्राम पंचायत स्वयं के प्रशासनिक मद, समुदाय सहयोग से करेगी।	
		• उक्त कार्य को कार्ययोजना के साथ प्लान-प्लस पर इंगित सेक्टर Health and Sanitation पर अपलोड किया जायेगा।	
3.	पंजीकरण	• समुदाय को बच्चों का जन्म पंजीकरण जन्म के 21 दिवसों के भीतर किये जाने, विवाह एवं मृत्यु रजिस्ट्रेशन कराया जाना। <u>गतिविधि</u> • प्रत्येक रजिस्ट्रेशन हेतु फीस (रू0 05 से 10) ग्राम पंचायत स्तर पर तय करते हुए रजिस्ट्रेशन 100 प्रतिशत सुनिश्चित करना। रजिस्ट्रेशन से प्राप्त होने वाली धनराशि ग्राम पंचायत के स्वयं की आय के श्रोत के रूप में ग्राम पंचायत के खाते में जमा होगी।	• समुदाय को बच्चों का जन्म पंजीकरण जन्म के 21 दिवसों के भीतर किये जाने, विवाह एवं मृत्यु रजिस्ट्रेशन कराये जाने के प्रति जागरूक करना। <u>गतिविधि</u> • समुदाय स्तर पर वार्ड सभा के आयोजन के माध्यम से। • ग्राम पंचायत की मासिक बैठक में उक्त सभी सामाजिक विषयों पर चर्चा।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र.सं.	सेक्टर	मानक	
		कम लागत (Low Cost)	बिना लागत (No Cost)
		• उक्त कार्य को कार्ययोजना के साथ प्लान-प्लस पर इंगित सेक्टर Maintenance of Community System पर अपलोड किया जायेगा।	
4.	स्वास्थ्य एवं पोषण	• ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति (वी0एच0एस0एन0सी0) में उपलब्ध बजट के द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर स्वच्छता संबंधी कार्य कराना। <u>गतिविधि</u> • ग्राम प्रधान, आशा एवं ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के सम्मिलित प्रयास से उपलब्ध धनराशि रू0 10,000 की कार्ययोजना तैयार करना। • माह में आयोजित होने वाले वी.एच.एन.डी. (Village Health and Nutrition Day) दिवस के आयोजन को सुनिश्चित करना। • छः माह में एक बार हेल्थ कैम्प का आयोजन किया जाना। कैम्प के आयोजन का व्यय वी.एच.एस.एन.सी. के मद में उपलब्ध धनराशि, ग्राम पंचायत के प्रशासनिक मद की धनराशि अथवा स्वयं के आय के स्रोत की धनराशि से किया जायेगा।	• समुदाय को ए0एन0एम0 तथा आशा के माध्यम से सभी गर्भवती महिलाओं का प्रथम तीन माह में रजिस्ट्रेशन, गर्भवती महिलाओं को 04 एन्टीनेटल चेक-अप तथा 02 पी.एन.सी., संस्थागत प्रसव, टीकाकरण, वी0एच0एन0डी0 दिवस में प्रतिभाग करना, किशोरियों द्वारा WIFS कार्यक्रम में 52 IFA गोलियों का सेवन, किशोरियों को वार्षिक हेल्थ चेकअप, कम वजन तथा गंभीर रूप से कम वजन वाले बच्चों का प्रतिमाह आंगनवाडी सेन्टर पर वजन, लक्षित लाभार्थियों (06 माह से 03 वर्ष एवं 03-06 वर्ष, गर्भवती एवं धात्री महिलायें) को आंगनवाडी से सभी SNP सेवायें प्राप्त होने आदि पर जानकारी देना तथा समुदाय की भागीदारी के प्रति जागरूक करना। <u>गतिविधि</u> • आशा, आंगनवाडी कार्यकत्री एवं

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र.सं.	सेक्टर	मानक	
		कम लागत (Low Cost)	बिना लागत (No Cost)
			ए0एन0एम0 द्वारा दो माह में एक वार्ड सभा का आयोजन कर समुदाय को जागरूक करना। • ग्राम पंचायत की मासिक बैठक में उक्त सभी सामाजिक विषयों पर चर्चा।
		• उक्त कार्य को कार्ययोजना के साथ प्लान-प्लस पर इंगित सेक्टर Health and Sanitation पर अपलोड किया जायेगा।	
5.	शिक्षा	• सभी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से तथा आंगनवाडी में वार्षिक कैलेण्डर के अनुसार ही ECE गतिविधियों के सम्पादन का अनुश्रवण समुदाय के माध्यम से सुनिश्चित करना। <u>गतिविधि</u> • ग्राम पंचायत में बच्चों द्वारा रैली निकालना। • विद्यालय में वार्षिक दिवस का आयोजन जिसमें विभिन्न खेल प्रतियोगितायें के माध्यम से छात्र-छात्राओं एवं अभिभावकों को प्रोत्साहित करना। • उक्त आयोजन में आने वाले व्यय का वहन ग्राम पंचायत के प्रशासनिक मद की धनराशि	• समुदाय की 03 वर्ष से अधिक के सभी बच्चे आंगनवाडी केन्द्र में जाने तथा प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल में पढने वाले सभी बच्चे (लडके/लडकियाँ) का लगातार स्कूल जाने में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना। <u>गतिविधि</u> • शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूक करने हेतु वार्डवार बैठक का आयोजन (दो माह में एकबार प्रत्येक वार्ड में) • ग्राम पंचायत की मासिक बैठक में उक्त सभी सामाजिक विषयों पर चर्चा।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र.सं.	सेक्टर	मानक	
		कम लागत (Low Cost)	बिना लागत (No Cost)
		अथवा स्वयं के आय के स्रोत की धनराशि से किया जायेगा।	
		• उक्त कार्य को कार्ययोजना के साथ प्लान-प्लस पर इंगित सेक्टर Education पर अपलोड किया जायेगा।	
6.	स्वशासन एवं अभिसरण	• ग्राम पंचायत विकास योजना का निर्माण निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप तैयार करना तथा योजना को सामुदायिक स्थान पर प्रदर्शित करना। • पंचायत का पारिवारिक सर्वे करवाना, ग्राम पंचायत द्वारा स्वयं की वेबसाइट है जिसपर योजनाओं, संसाधनों, फार्म तथा सर्टिफिकेट (जिसमें जमीन, सामुदायिक सम्पत्ति के संसाधन और बैंक एकाउंट सम्मिलित है) तथा योजनावार लाभर्थियों की सूची पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराना। • सी.एस.आर. अथवा स्वयं से/डोनेशन के माध्यमों से ग्राम पंचायत का बजट बढाना आदि। <u>गतिविधि</u> • ग्राम पंचायत की वार्षिक कार्ययोजना को सामुदायिक स्थानों पर वॉल पेन्टिंग के माध्यम से प्रदर्शित करना।	• सभी 06 ग्राम पंचायत समितियों की प्रतिमाह बैठकें/वर्ष में न्यूनतम दो बार ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन मानकों के अनुसार तथा समय से कार्यवृत्त तैयार किया जाना। • 100 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला वार्ड सदस्यों की भागीदारी। • स्वयं सहायता समूह तथा महिला एवं बाल मंच के सक्रीय समूह गठित करना, महिला प्रधान परिवारों, अलग एवं एकल महिला को सहायता प्रदान करना, दिव्यांगों को आजीविका से जोडना। • ग्राम पंचायत की परिधि में किसी भी प्रकार की मदिरा, तंबाकू अथवा अन्य किसी भी प्रकार के ड्रग्स का बेचे जाने पर प्रतिबंध लगाना, कूडे तथा प्लास्टिक को जलाने पर

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र.सं.	सेक्टर	मानक	
		कम लागत (Low Cost)	बिना लागत (No Cost)
		• ग्राम पंचायत में विभिन्न स्रोतों से अर्जित आय से विकास कार्यों हेतु कार्ययोजना तैयार करना। • वॉल पेन्टिंग में आने वाले व्यय का वहन ग्राम पंचायत द्वारा स्वयं के प्रशासनिक मद की धनराशि से किया जायेगा।	प्रतिबंध लगाना। <u>गतिविधि</u> • समुदाय स्तर पर रैली, वार्ड सभा का आयोजन, संवाद कर जानकारी देना तथा जागरूक करना। • ग्राम पंचायत की मासिक बैठक में उक्त सभी सामाजिक विषयों पर चर्चा।
		• उक्त कार्य को कार्ययोजना के साथ प्लान-प्लस पर इंगित सेक्टर Administrative and Technical Support पर अपलोड किया जायेगा।	
7.	सामाजिक घटक एवं व्यवहार परिवर्तन	• समुदाय में बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने, परिवार नियोजन को अपनाने, कन्या के जन्म को धूम-धाम से मनाने, बालश्रम को रोकने, स्तनपान को बढ़ावा देने, दहेज न लेने और न ही देने, शराब, तंबाकू तथा अन्य किसी भी प्रकार के नशे को न खरीदने और न ही बेचने, घरेलू हिंसा रोकने, पॉलिथीन तथा न गलने वाले कचरे का उपयोग न करने, आयोडीन नमक का उपयोग करने, सरकारी कर्मचारियों द्वारा जाति, क्लास, धर्म, लिंग, दिव्यांगता, बिमारी तथा वृद्धवस्था के आधार पर	• समुदाय में बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने, परिवार नियोजन को अपनाने, कन्या के जन्म को धूम-धाम से मनाने, बालश्रम को रोकने, दहेज न लेने और न ही देने, शराब, तंबाकू तथा अन्य किसी भी प्रकार के नशे को न खरीदने और न ही बेचने, घरेलू हिंसा रोकने, पॉलिथीन तथा न गलने वाले कचरे का उपयोग न करने, आयोडीन नमक का उपयोग करने, सरकारी कर्मचारियों द्वारा जाति, क्लास, धर्म, लिंग, दिव्यांगता, बिमारी तथा वृद्धवस्था के

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र.सं.	सेक्टर	मानक	
		कम लागत (Low Cost)	बिना लागत (No Cost)
		भेदभाव न करना। <u>गतिविधि</u> • ग्राम पंचायत के महत्वपूर्ण सामुदायिक स्थानों पर वॉल पेन्टिग कराना। • ग्राम पंचायत में विषय संबंधी नारों का दीवार लेखन कराना। • समुदाय के वह परिवार जिन्होंने परिवार नियोजन के "हम दो हमारे दो" स्लोगन को अपनाया है उन्हें समारोह में पुरस्कृत करना। • छात्र-छात्राओं को उक्त विषयों पर जागरूक करने हेतु विद्यालय में समय-समय पर प्रतियोगिता, वाद-विवाद, क्विज़ का आयोजन कराना। • उक्त गतिविधियों में आने वाले व्यय का वहन ग्राम पंचायत स्वयं के प्रशासनिक मद अथवा स्वयं की आय की धनराशि से करेगी।	आधार पर भेदभाव न करना। <u>गतिविधि</u> • प्रत्येक माह हेतु एक विषय निर्धारित करते हुए प्रत्येक माह वार्डवार शपथ समारोह का आयोजन कर समस्त परिवारों को शपथ दिलाना। • माह हेतु निर्धारित विषय पर वार्डवार प्रत्येक माह में वाद-विवाद का आयोजन करना। • प्रत्येक माह हेतु एक विषय निर्धारित करते हुए प्रत्येक विषय पर रैली का आयोजन। उदाहरण परिवार नियोजन के प्रति समुदाय को जागरूक करना मुख्यत: पुरूष नसबन्दी को बढावा देना। • ग्राम पंचायत की मासिक बैठक में उक्त सभी सामाजिक विषयों पर चर्चा।
		• उक्त कार्य को कार्ययोजना के साथ प्लान-प्लस पर इंगित सेक्टर Social Welfare पर अपलोड किया जायेगा।	
8.	कृषि	• कृषि के प्रकार एवं लाभ, फसलों के प्रकार, कृषि में उपयोग होने वाली तकनीक, मौसमी फसलों	• ग्रामसभा की बैठक ही कृषि सम्बंधी योजनाओं की जानकारी देते हुए उपयुक्त

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र.सं.	सेक्टर	मानक	
		कम लागत (Low Cost)	बिना लागत (No Cost)
		एवं फलों की खेती, कृषि से संबंधित समस्यायें आदि पर समुदाय को जानकारी देना तथा जागरूक करना। • जनपदों एवं राज्यों में कृृषि संबंधी उत्कृष्ट कायोर्ं से किसानों से सीखने एवं सीखाने हेतु एक्सपोज़र विजिट का आयोजन। • ग्राम पंचायतों द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्यों का दस्तावेजीकरण-विडियों निर्माण। • उक्त गतिविधियों में आने वाले व्यय का वहन स्वयं ग्राम पंचायत अपने स्रोतों से किया जा सकता है। • विभाग द्वारा भी उक्त गतिविधि प्रस्तावित की जा सकती है।	लाभाथ्ाी चयन की कार्यवाही को पूर्ण किया जाना। • रबी एवं खरीफ के मौसम में ग्राम सभा की बैठक में कृषि विशेषज्ञों को आमंत्रित कर समुदाय को कृषि संबंधी जानकारी देना तथा नयी तकनीकों को अपनाये जाने हेतु प्रेरित करना। • ग्राम पंचायत की मासिक बैठक में उक्त विषय पर चर्चा।
		• उक्त कार्य/गतिविधियों को कार्ययोजना के साथ प्लान-प्लस पर इंगित सेक्टर Agriculture पर अपलोड किया जायेगा।	

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।